

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन / U.T. Administration of Daman & Diu

राजभाषा विभाग / Rajbhasha Vibhag, दमण / Daman.

रा.भा. 7(2)/अनु.कार. /2014-18/112/104

दिनांक : 9/08/2018

परिपत्र / CIRCULAR

विषय :- राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा-3(3) का शत-प्रतिशत अनुपालन किये जाने के बारे में  
संदर्भ :- सं.रा.भा.7(10)/ रा.का.स.,अनु. का/2018 कार्यवृत्त मद सं.-2.

उपर्युक्त विषय के संबंध में सभी सदस्य कार्यालयाध्यक्षों को यह सूचित करना है कि दिनांक 23/07/2018 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की संयुक्त बैठक में माननीय प्रशासक के सलाहकार एवं अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि राजभाषा कार्यान्वयन समिति एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य कार्यालयाध्यक्ष राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा-3(3) के अनुसार सूचीबद्ध कागजातों को प्रथम प्राथमिकता देते हुए हिन्दी एवं अंग्रेजी अर्थात् केवल द्विभाषी रूप में जारी करना सुनिश्चित करेंगे और इस संबंध में उल्लंघन से बचेंगे।



( डॉ. अनिल कौशिक )

सहायक निदेशक (राजभाषा)

दमण

सेवा में,

सभी कार्यालयाध्यक्ष एवं  
राजभाषा कार्यान्वयन समिति एवं  
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य, दमण ।

प्रतिलिपि सादर सूचनार्थ :

1. माननीय प्रशासक के सलाहकार, सचिवालय, दमण ।
2. सचिव (राजभाषा) सचिवालय, दमण ।
3. समाहर्ता की वैयक्तिक सहायक, समाहर्तालय, दमण ।
4. उप-निदेशक (कार्यान्वयन) भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पश्चिम), केन्द्रीय सदन, छठा तल, कमरा संख्या-601, सेक्टर-10, बेलापुर, नवी मुंबई-400 614 ।
5. राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी, सचिवालय, दमण को इसे प्रशासन की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अनुरोध सहित ।
6. कार्यालय प्रति ।